

गुप्त 2035 की सैलमेंट से रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि. वृत.....
 पूर्व जमाबंदी सवत 2032-38 के खाता सं. 120 में कजोडी पुत्र गुल्था हि. 1/8 र्ज
 सैलमेंट खतोनी के खाता सं. 113 में कजोडी पुत्र गुल्था हि. 1/8 हुट गया है तथा
 खतोनी में सिल्ली पुत्र भाखन हि. 1/8 र्ज है जबकि वतमान जमाबंदी में सिल्ली के वारिसान
 भगवान सिंह साख सिंह 1/8 र्ज दे गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुताबिक जमाबंदी 2035-38 कजोडी पुत्र गुल्था
 हि. 1/8 र्ज सिल्ली (जोडन) अधीन है। तथा मुताबिक सैलमेंट खतोनी सिल्ली के वारिसान का हि
 रामधर 1/24 भगवान सिंह साख सिंह 1/12 मुद्द किमा जाना उचित प्रतीत होता है।

शं. वतमान जमाबंदी, खतोनी, जमाबंदी 2035-38, मिलान क्षेत्रफल की फोटो
 प्रति संलग्न है।

कार्यालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी (करोली) 28.11.17
 रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

उक्त रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी 2035-38 के खाता सं. 120 में कजोडी पुत्र गुल्था हि. 1/8 र्ज
 सिल्ली (जोडन) अधीन है। तथा मुताबिक सैलमेंट खतोनी सिल्ली के वारिसान का हि
 रामधर 1/24 भगवान सिंह साख सिंह 1/12 मुद्द किमा जाना उचित प्रतीत होता है।
 136 L A.C. के अंतर्गत जंगल अर्थात् जमाबंदी के अंतर्गत जंगल क्षेत्र का क्षेत्रफल
 136 L A.C. है।
 सूर्य सिंह के दो धामनाम हैं। मांगो है 1/4 साख सिंह भावा हिंडोल
 हेमचंद्र 1/24 हि. रामधर हेमचंद्र अर्थात् 1/24 हि. रामधर हीना धीना धीना
 हि. रामधर 1/24 भगवान सिंह साख सिंह हि. सिल्ली हि. 1/12 अर्थात्

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

राष्ट्र प्रामाण्य - शिवा 15/18 आदेश
 कजोडी पुत्र गुल्था हि. 1/8 सिल्ली (जोडन)
 हिमा इम गुल्था हि. 1/4 साख सिंह भावा हिंडोल अर्थात् अर्थात्
 हि. रामधर हि. सिल्ली मांगो है 1/4 साख सिंह भावा हिंडोल अर्थात् अर्थात्
 मांगो है 1/4 साख सिंह भावा हिंडोल अर्थात् अर्थात्
 जमाबंदी 2035-38

तहसीलदार (भू.अ.नि.)
 हिण्डौन सिटी (करोली)

तहसीलदार हिण्डौन सिटी की रिपोर्ट
 अथवा सल्लाखिल लीकृत है।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी

94
 29.12.17